

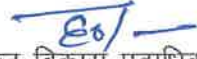
जिला खनन कार्यालय, वैशाली

‘जिनसे संबंधित हो’

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स उत्तम श्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड, अधिकृत प्रतिनिधि— अभिजीत कुमार वर्मा, पता— शांति निकेतन कॉलोनी, काली मंदिर रोड़, आर० पी० एस० मोड़, बेली रोड़, जिला— पटना (बिहार) द्वारा मौजा— ताल सलहा / बहसी सैदपुर, खाता सं०— 289, 210, 57, 88, 100. खेसरा सं०— 77, 08.45, 151, 150, 163, 161. एवं रकवा— 2.36 हे० क्षेत्र पर मिट्टी उत्खनन हेतु पर्यावरणीय सहमति प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दाखिल करना चाहते हैं।

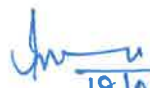
मिट्टी उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र के मौजा— ताल सलहा / बहसी सैदपुर, खाता सं०— 289, 210, 57, 88, 100. खेसरा सं०— 77, 08.45, 151, 150, 163, 161. एवं रकवा— 2.36 हे० क्षेत्र के अतिरिक्त 500 मीटर के अन्दर (Contiguous) में अन्य कोई खनन पट्टा स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र आवेदित नहीं है। प्रस्तावित क्षेत्र का कुल रकवा— 2.36 हे० है, जो 5.00 हे० से कम है।

यह प्रमाण पत्र केवल पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए मान्य है।


खनिज विकास पदाधिकारी
जिला खनन कार्यालय
वैशाली

ज्ञापांक.....५१...../एम०, दिनांक.....18/01/2025.....

प्रतिलिपि: मेसर्स उत्तम श्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड, अधिकृत प्रतिनिधि— अभिजीत कुमार वर्मा, पता— शांति निकेतन कॉलोनी, काली मंदिर रोड़, आर० पी० एस० मोड़, बेली रोड़, जिला— पटना (बिहार) को सूचनार्थ।


18/01/25
खनिज विकास पदाधिकारी
जिला खनन कार्यालय
वैशाली

जिला खनन कार्यालय, वैशाली

पत्रांक...../एम0, दिनांक.....।

सेवा में,

मेसर्स उत्तम श्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड
अधिकृत प्रतिनिधि— अभिजीत कुमार वर्मा
पिता— अर्जुन प्रसाद वर्मा
पता— शांति निकेतन कॉलोनी, काली मंदिर रोड़,
आर0 पी0 एस0 मोड़, बेली रोड़, जिला— पटना।

विषय:— खनन योजना (Mining Plan) अनुमोदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वैशाली जिलान्तर्गत, राजा पाकर थानान्तर्गत मौजा/ग्राम— ताल सलहा/बहसी सैदपुर, खाता नं०— 289, 210, 57, 88, 100. खेसरा नं०— 77, 08.45, 151, 150, 163, 161. रकबा 2.36 हेक्टेयर में साधारण मिट्टी के खनन हेतु प्रस्तुत खनन योजना का अनुमोदन संयुक्त, सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार पटना के पत्रांक— 4156/एम0 पटना दिनांक 27.12. 2016 के आलोक में निम्न शर्तों के साथ अनुमोदन किया जा रहा है।

1. खनन योजना का अनुमोदन 38232 घन मी० 2024 में साधारण मिट्टी के उत्पादन हेतु अनुमान्य किया गया है।
2. साधारण मिट्टी खनन की गहराई सतह से 2.0 मी० से अधिक नहीं होगा।
3. खनन कार्य ग्राउन्ड वाटर लेबल से कम से कम 2.0 मी० उपर तक ही सीमित रखा जाएगा।
4. प्रस्तावित उत्खनन की गहराई के कम से कम आधे के बराबर चौड़ाई रखने वाले सटे मैदानों की सीमा से पटरी छोड़ दी जाएगी।
5. पथ निर्माण, तटबंध निर्माण आदि के प्रयोजनार्थ साधारण मिट्टी के खनन/उत्खनन से संबंधित क्रियाकलाप में विस्फोटक का प्रयोग नहीं होगा।
6. खनन/उत्खनन संबंधी क्रिया-कलाप कार्य क्षेत्र के सामान्य जल निकासी के प्रतिरूप (पैटर्न) को परिवर्तित नहीं करेगा।
7. खोदे गए/उत्खनित गड्ढा (पिट) को परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपयोगी प्रयोजन (प्रयोजनों) के लिए पुनः स्थापित किया जाएगा।
8. खोदे गए/उत्खनित गड्ढा के चारों ओर समुचित घेराबंदी कर दी जाएगी, ताकि किसी दुर्घटना से बचा जा सके।
9. ढुलाई के दौरान खोदी गई/उत्खनित मिट्टी के फैलने से धूल उत्सर्जन को रोकने के लिए उपाय किए जाएंगे।
10. मिट्टी के खनन/उत्खनन के कारण सृजित जल निकायों में रोगवाहकों (वेक्टर) के प्रजनन के कारण स्वास्थ्य खतरों के विरुद्ध सुरक्षा मानक अपनाये जाएंगे।
11. कामगारों/मजदूरों को पेयजल और सफाई संबंधी सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी।
12. किसी उत्खनन क्षेत्र की परिधि से किसी असैनिक संरचना की दूरी कम से कम 15 मीटर रखी जाएगी।

13. राष्ट्रीय पार्को और वन्य प्राणी अभ्यारण्य की सीमा के 1 किलो मीटर के अन्दर उत्खनन के क्षेत्र के मामले में साधारण मिट्टी के खनन/उत्खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
14. खनन कार्य के दौरान निकाले गये टॉप स्वायल को व्यवस्थित रूप से एकत्रित कर रखा जाएगा, जिसे खनन कार्य समाप्त होने के उपरान्त उसी क्षेत्र में फैला दिया जाएगा।
15. खनन योजना में वर्णित भूमि के स्वामिस्व तथा भूस्वामियों की सहमती से संबंधित अभिलेखों की पुष्टि करा लिया जाना अपेक्षित होगा।
16. भविष्य में किसी प्रकार की कोई भी गलती खनन योजना अथवा कार्य में पाई जाएगी तो खनन योजना स्वतः निरस्त माना जाएगा।

विश्वासभाजन

820
खनिज विकास पदाधिकारी
जिला खनन कार्यालय
वैशाली

ज्ञापांक.....1232.../एम0 दिनांक.....18/11/24

प्रतिलिपि:- R.Q.P. प्रवीण कुमार सिन्हा मंगल मार्केट राजा बाजार को सूचनार्थ प्रेषित।

18/11/24
खनिज विकास पदाधिकारी
जिला खनन कार्यालय
वैशाली